सं. 1-4/2015-ई.III-ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति का गठन।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

1.	मंत्रिमंडल सचिव	-	अध्यक्ष
2.	वित्त सचिव/सचिव (व्यय)	-	सदस्य
3.	सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	-	सदस्य
4.	सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग	-	सदस्य
5.	सचिव, गृह मंत्रालय	-	सदस्य
6.	सचिव, रक्षा मंत्रालय	-	सदस्य
7.	सचिव, राजस्व विभाग	-	सदस्य
8.	सचिव, डाक विभाग	-	सदस्य
9.	सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य
10.	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	सदस्य
11.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	-	सदस्य
12.	उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	-	सदस्य
13.	सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय	-	सदस्य

2. यह समिति, जब भी आवश्यक हो, किसी अन्य सचिव को सहयोजित कर सकती है।

3. यह अधिकार-प्राप्त समिति संबंधित हितधारकों यथा मंत्रालयों/विभागों, कर्मचारी संगठनों और संयुक्त परामर्शदायी तंत्र के विचारों को ध्यान में रखते हुए, आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक जांच समिति के रूप में कार्य करेगी ताकि मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ निष्कर्षों को अंतिम रूप दिया जा सके।

4. व्यय विभाग में स्थापित कार्यान्वयन प्रकोष्ठ सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

5. सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति की अंतिम सिफारिशें मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

ह./-

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. मंत्रिमंडल सचिव, अध्यक्ष।

2-13 सभी सदस्य।

प्रतिलिपिः

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. एनआईसी, वित्त मंत्रालय को इस कार्यालय ज्ञापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार